वाद GCMS NO. 2012/00265 बअनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली बनाम ललिता वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
06/06/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का बेडल से तलब की गई रिपोर्ट का अवलोकन किया। पटवारी हल्का बेडल व निरीक्षक भू-अभिलेख खुडाला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम जादरी के खसरा नंबर 351/3 रकबा 5.15 हैक्टर की गुणेन्द्र कंवर पुत्री छत्तर सिह वगेरा की खातेदारी भूमि है। जिसमें कृषि कार्य हेतु उपयोग में लिया जा रहा है। तथा खसरा नंबर 354/1 रकबा 0.56 हैक्टर किस्म बारानी दोयम जो कि ललिता पत्नि इन्दरमल वगेरा की खातेदारी भूमि हैं। जिसमें प्लॉटिंग किया जा रहा है। प्रार्थी तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण प्रस्तुती के समय प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के समय पटवारी हल्का बेडल द्वारा दिनांक 10.04.2012 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जादरी के खसरा नंबर 354/1, 351/3 पर प्रार्थी ने बिना 90-बी कराये पत्थरगडी तथा प्लॉटो के निशानात किये है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के समय तथा वर्तमान में भी ग्राम जादरी के खसरा नंबर 351/3 पर मौके पर किसी प्रकार की अकृषि गतिविधि होना प्रस्तुत रिपोर्ट व प्रस्तुत मौके के फोटो चित्रो से साबित नहीं है। इसी प्रकार खसरा नं 354/1 की भूमि के मौके के फोटो चित्रों से यह प्रमाणित नहीं है कि भूमि पर किसी प्रकार की अकृषि गतिविधि यथा आवासीय/वाणिज्यिक होना प्रमाणित नहीं है। मौके पर मात्र प्लॉट के निशानात लगाये जाने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि भूमि का अकृषि प्रयोजन उपयोग हो रहा है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जादरी के खसरा नंबर 351/3 तथा 354/1 प्रार्थना पत्र प्रस्तुती के समय तथा वर्तमान समय में किसी प्रकार से अकृषि प्रयोजन उपयोग में लिया जाना प्रमाणित नहीं है। जिससे प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। तहसीलदार बाली को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में वर्णित भूमि के संबंध में पुनः जांच कर यदि अकृषि प्रयोजन उपयोंग में लिया जाना पाया जाये तो पुनः टिनेंसी एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हों। 6/6/024. सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाली	7/6/24

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner